न्यायालय उपखण्डाधिकारी महोदय,सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठसीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 702/2019

रविन्द्र सिंह पुत्र प्रकाश सिंह जाति जटसिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

वादी

बनाम

1. प्रकाश सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जट्टसिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. जसविन्द्र कौर पत्नी प्रकाश सिंह जाति जटसिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. समनदीप कौर पुत्री प्रकाश सिंह जाति जटसिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
4. बेअंत कौर पुत्री प्रकाश सिंह जाति जट्टसिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
5. तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 , 188 आर टीए

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण

1	श्री जगनन्दन सिंह अधिवक्ता	वादी
2	श्रीमति कंचन सेतिया मुंजाल अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 2 ता 4
3	राजपैरोकार स्टेट	प्रतिवादी संख्या 5

दिनांक: 3.1.2020

निर्णय

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए के तहत् इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सिख हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 पिता व पुत्र है। पक्षकारण हिन्दु सिख धर्म व हिन्दू ला के मिताक्षरा स्कूल से शासित है। प्रत्येक पुत्र पुत्री का जदी जायदाद कोपार्सनरी एवं संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति में अर्थात् पुत्र का पिता की सम्पति में जन्म से हक व अधिकार है। चक 27केएसडी के खाता संख्या 37/23 के प0न0 65/110 मु0न0 7 कि0न0 1, 7 ता 14 सालम, प0न0 64/110 मु0न0 08 कि0न0 5 सालम, प0न0 65/115 मु0न0 24 कि0न0 6, 15 सालम कुल किता 12 कुल क्षेत्रफल 3.036 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी विरास्तन प्राप्त हुई है जो संयुक्त हिन्दु परिवार की परिभाषा में आती है। प्रतिवादी संख्या 1 का व्यवहार वादी के साथ पिछले कुछ वर्षो से सही नही रहा है जिसके चलते वादी एवं प्रतिवादीगण अलग–अलग निवास कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 कें इसी व्यवहार के चलते घरू तौर पर रिशतेदारो एवं बिरादरी के मध्य हुई पंचायत के आधार पर वादी को चक 27 केएसडी के खाता संख्या 37/23 के प0न0 65/110 मु0न0 7 कि0न0 1, 7 ता 14 सालम, प0न0 64/110 मु0न0 08 कि0न0 5 सालम, प0न0 65/115 मु0न0 24 कि0न0 6, 15 सालम कुल किता 12 कुल क्षेत्रफल 3.036 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता आराजी में से वादी को 2.783 हैक्टर आराजी मुताबिक बंटवारा प्राप्त हुई है। जिसमें से प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपना हक वादी के पक्ष में मौखिक त्याग दिया था। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक व हिस्सा की आराजी उक्त खाते में से दो बीघा दिनांक 25.07.2019 को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

बेचान कर दी है। अब प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी में से कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। इसी अनुसार आराजी वादी को प्राप्त मुताबिक बंटवारा कब्जा काश्त में चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजी वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से प्राप्त हुई है आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज नही रहने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 अक्सर धमकियां देता है कि उक्त वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड में मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा तुझे उक्त आराजी से बेदखल कर दुंगा तथा उक्त वर्णित आराजी वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड नही होने के कारण वादी को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 27 केएसडीके खाता संख्या 37/23 के प0न0 65/110 मु0न0 7 कि0न0 1, 7 ता 14 सालम, प0न0 64/110 मु0न0 08 कि0न0 5 सालम, प0न0 65/115 मु0न0 24 कि0न0 6, 15 सालम कुल किता 12 कुल क्षेत्रफल 3.036 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता आराजी प्रतिवादीगण 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी को दावा की मंद संख्या 6 अनुसार मुताबिक बंटवारा आराजी की अपने नाम घोषणा प्राप्त कर खातेदारी पाने के हक व अधिकारी है। वादी ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 को कहा कि वह वादी को मुताबिक बंटवारा हक व हिस्सा की कब्ज़ा काश्त अनुसार दावा की मंद संख्या 6 अनुसार खातेदार काश्तकार स्वीकार कर लेवे तथा सहमति के आधार पर उक्त आराजी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवे। पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 आज कल करता रहा लेकिन दिनाँक 06.08.2019 को बैमुकाम पतली में स्पष्ट ईन्कार हो गया और ऐलानियां धमकीयां दी कि उक्त आराजी को बेचान कर दुंगा बेचान कर अन्यत्र खरीद कर लुंगा ताकि तुम्हे कोई हिस्सा न मिले तुम्हे जो करना है कर लो। आराजी राजस्व रिकार्ड में मुताबिक अपने हक व हिस्सा अनुसार वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड नही रहने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रहने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के हक व हिस्सा की आराजी को रहन बैय करने का पूरा अंदेशा लगा रहता है। अगर प्रतिवादी संख्या 1 उक्त मकसद में कामयाब हो गया तो वादीको अपूर्णीय क्षति कारित होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाने से नही हो सकती। इस कारण वादी या प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 27 केएसडी के खाता संख्या 37/23 में 3.036 हैक्टर नहरी आराजी मय गैरमुमकिन रास्ता आराजी को रहन, बैय व अन्य दीगर तरीके से हस्तान्तरित करने व कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करने से बाज व ममनू रहे। इस कारण वादीका प्रथम दृष्टया मामला बखूबी बनता है। सुविधा सतुंलन भी वादी के पक्ष में है। अतः वाद वादी की ओर से पेश कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे। इस आश्य की घोषणा की जावे कि वादी को चक 27 केएसडी के खाता संख्या 37/23 के प0न0 65/110 मु0न0 7 कि0न0 1, 7 ता 14 सालम, प0न0 64/110 मु0न0 08 कि0न0 5 सालम, प0न0 65/115 मु0न0 24 कि0न0 6, 15 सालम कुल किता 12 कुल क्षेत्रफल 3.036 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में से वादी को 2.783 हैक्टर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे एवं उक्त आराजी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे। इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 27 केएसडी के खाता संख्या 37/23 के प0न0 65/110 मु0न0 7 कि0न0 1, 7 ता 14 सालम, प0न0 64/110 मु0न0 08 कि0न0 5 सालम, प0न0 65/115 मु0न0 24 कि0न0 6, 15 सालम कुल किता 12 कुल क्षेत्रफल 3.036 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता आराजी को रहन बैय व अन्य दीगर तरीके से हस्तातरण करने से बाज व ममनू रहें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की तामिल जरिये सम्मन से होने हाजिर अदालत न

(राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

आने पर प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की ओर से श्रीमति कंचन सेतिया मुंजाल एडवोकेट ने ईकबालदावा पेश किया। जबाब स्टेट पेश हुआ कि राज्यहित को मध्यनजर रखते हुये वाद वादी डिक्री किया जाता है तो कोई एतराज नही होगा।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी कि प्रतिवादी संख्या 1 प्रकाश सिंह के नाम चक 27 केएसडी में 8 बीघा व 8.5 बीघा तहसील घड़साना में है। यहां से 2 बीघा आराजी पहले बेच चुका है व अब और बेचना चाह रहा है। वादी के अनुसार मेरा जितना हिस्सा बनता है उतनी ही भूमि मांग रहा हुं। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया । वकील प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी विरास्तन प्राप्त हुई है जो संयुक्त हिन्दु परिवार की परिभाषा में आती है। वादी को विरासतन आराजी घरू बंटवारा में प्राप्त होने की हैसियत से वादग्रस्त आराजी के संबंध में घोषणा एवं शाश्वत् व्यादेश का अनुतोष चाहा गया है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने वादी के कथनो पर अपनी सहमति प्रकट करते हुये ईकबालदावा पेश किया है। इस प्रकार वादी ने अपना दावा को दस्तावेजी साक्ष्य, इकबाल कथनो एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 27 केएसडी के खाता संख्या 37/23 के प0न0 65/110 मु0न0 7 कि0न0 1, 7 ता 14 सालम, प0न0 64/110 मु0न0 08 कि0न0 5 सालम, प0न0 65/115 मु0न0 24 कि0न0 6, 15 सालम कुल किता 12 कुल क्षेत्रफल 3.036 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में से वादी को 2.783 हैक्टर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है एवं उक्तानूसार ही वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3.1.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.28 17:19:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: